प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 28.01.2026

❖ **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 27.03.2025 को थाना भोगनीपुर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी धीरू व उसका दोस्त जीतू बहला फुसलाकर कही ले गया है, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 105/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1.धीरू पुत्र इन्द्रपाल, 2. जीतू पुत्र सोनेलाल निवासीगण कस्बा व थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता का मेडीकल परीक्षण/ बयान धारा 183 बीएनएसएस एवं प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त हीरू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम अकबरपुर झवैया थाना रेउना जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त हीरू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम अकबरपुर झवैया थाना रेउना जनपद कानपुर नगर को पिपरी मोड़ थाना क्षेत्र भोगनीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण–

1.हीरू पुत्र इन्द्रपाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अकबरपुर झवैया थाना रेउना जनपद कानपुर नगर।

अभियुक्त हीरू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 454/2022 धारा 41/411/413/414/420/467/468/471 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

2.मु0अ0सं0 105/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह

चौकी प्रभारी अमरौधा उ0नि0 श्री अमित पोरवाल

का0 470 भीमसेन